



## मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

आई.एस.ओ.9001-2008 द्वारा प्रमाणित

Phone : 23701356, E-mail - dir-sys@esic.nic.in, ac-sys@esic.in, sanjay.sinha@esic.in

सं.:जी-32/11/6/111/12-प्रणाली(हित. व बीमा)पार्ट

दिनांक: 31.12.2014

सेवा में,


समस्त क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक-प्रभारी/संयुक्त निदेशक-प्रभारी,  
क्षेत्रीय कार्यालयों/उपक्षेत्रीय कार्यालयों/प्रभागीय कार्यालय,  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

**विषय: कामकाज करने की ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ होने के बाद समस्त ऑनलाइन गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाना - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम(सामान्य)-1950 के विनियमन 110 ।**

महोदय,

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम(सामान्य)-1950 के विनियमन 110 को लागू करने के उपरांत जहाँ भी ऑनलाइन पद्धति प्रारंभ की गई है जैसे कारखानों /स्थापनाओं /कर्मचारियों का पंजीकरण, अंशदान जमा करना, चालान बनाना, अंशदान का भुगतान, हितलाभ दावों को जमा करना और उन पर कार्रवाई करना तथा अधिनियम, नियम एवं विनियमन के अंतर्गत सभी समस्त प्रक्रियाएं, ऑनलाइन की जानी है।

अतः समस्त क्षेत्रीय निदेशकों/ प्रभारी निदेशकों/प्रभारी संयुक्त निदेशकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जहाँ भी ऑनलाइन कामकाज की ऑनलाइन पद्धति लागू की गई है वहाँ समस्त गतिविधियाँ सिर्फ सिस्टम्स पर ही की जाए।

भवदीय,  
  
(संजय सिन्हा)  
निदेशक(सू. सं.प्रौ.प्र)

प्रतिलिपि: वेब कंटेंट मैनेजर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।